

## order Sheet [Contd]

प्र०क०.63 / 16 विद्युत

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
31-12-16	<p>परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री...कासिम अली हेदर..... सहित उनके अधिवक्ता श्री .ए०के०श्रीवास्तव.....उप०।</p> <p>आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री..... उप०/आरोपी अनुपस्थिति।</p> <p>प्रकरण निरन्तर एवं स्थाई लोक अदालत में पेश हुआ है।</p> <p>यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल/मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।</p> <p>सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।</p> <p>प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०-1 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड</p>	

